बिहार सरकार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग 63

13/01/2014

आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना के आदेश सं0–11338 दिनांक–09.07.13 में निहित प्रावधानों के आलोक में अनु0 जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, में संचालित अनु0 जाति एवं जनजाति आवासीय विद्यालयो में उच्चतर माध्यमिक/माध्यमिक तथा मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षको के रिक्त पदो पर संविदा आधारित नियोजन हेतु कॉन्सेलिंग के आधार पर राज्य सरकार के विद्यालयो से संलग्न सुची के निम्नांकित सेवा निवृत शिक्षको को संविदा के आधार पर नियोजित करते हुये उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालयों में पदस्थापित किया जाता है।

2. यह नियोजन उनके योगदान की तिथि से एक वर्ष के लिये होगी।

3. नियोजित शिक्षको के कार्यकलाप की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अधिकतम उम्रसीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिये सेवा विस्तार किया जायेगा।

4– नियोजित शिक्षको का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन में पेंशन की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी वहीं होगी।

5– नियोजित सभी शिक्षक अपने विद्यालय के जिला कल्याण पदाधिकारी, के कार्यालय में योगदान करेगें/सभी नियोजित शिक्षक योगदान के समय पी0 पी0 ओ0/अंतिम वेतन प्रमाण पत्र की छाया प्रति जिला कल्याण कार्यालय में समर्पित करेगें।

6– सभी नियोजित शिक्षक आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से योगदान करना होगा, अन्यथा निर्धारित तिथि के बाद उनका नियोजन स्वतः रद्ध समझा जायेगा।

7– सभी नियोजित शिक्षको को आवासीय विद्यालयों में आवास उपलब्ध होने की स्थिति में विद्यालय परिसर में हीं रहना होगा। आवासन की सुविधा अनुपलब्ध होने की स्थिति में विद्यालय के दो किलो मीटर की परिधि में अपना आवासन रखना होगा।

8– नियोजन के प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

निदेशक।

ज्ञापांक–2/शि0स्था0 60–26/2013– 63 पटना,15 दिनांक– 13/01/2014

प्रतिलिपि–सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषत।

निदेशक।

ज्ञापांक–2/शि0स्था0 60–26/2013– 63 पटना,15 दिनांक–13/01/2014

प्रतिलिपि–सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी उप निदेशक कल्याण/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय, आयुक्त/सभी प्रधानाध्यापक तथा सभी सेवानिवृत नियोजित शिक्षको को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि नियोजित शिक्षको को योगदान के समय पी0 पी0 ओ0 एवं उनके अंतिम वेतन प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लेगें। यदि कोई नियोजित शिक्षक किसी विद्यालय में अतिरेक हो जाते है, तो उन्हें अपने स्तर से जिला में उपलब्ध रिक्ति के विरूद्ध समायोजित कर लेगें।

निदेशक।